कोविड- सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिन क्वॉरेंटाइन किया जाएगा -कलेक्ट

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे। समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे। जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाए

प्रायवेट अस्पताल बगैर कलेक्टर की अनुमति के कोविड-मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे

जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अ होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्ट ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अ चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचार गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा

अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्ट दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भ दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के कार्रवाई की जाएगी।

अवन्तिका

अवन्तिका 6/1/22

कोरोना हुआ तो पूरे परिवार को 7 दिन तक रहना होगा क्वॉरंटीन

निजी अस्पतालों पर लगाम, बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे कोविड-मरीजों का उपचार

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. कोरोना मरीजों की बढ़ती रफ्तार के बीच कलेक्टर ने निजी अस्पताल पर लगाम कस दी है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए है कि कोई भी निजी अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमिक्रोन से संक्रमित मरीजों का उपचार बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकेगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इनता ही नहीं एक अन्य आदेश के तहत किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को सात दिनों तक क्वॉरंटाइन किया जाएगा।

जिलादंडाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची असानी से नजर आ सके ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही कोई भी अस्पताल शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे। निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा।

एप पर हर दिन दर्शाना होगी जानकारी

अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलादंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड [illegible] आ गई है।

जिले की राजस्व सीमा में स[illegible] सेवा प्रदाता संस्थानों के संचाल[illegible] एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यि[illegible] अनिवार्य रूप से मास्क का उपय[illegible] करेंगे तथा आने वाले व्यक्ति[illegible] ग्राहकों को मास्क के लिए प्रे[illegible] करेंगे। सभी दुकानदार, फल, सब[illegible] विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रे[illegible] अनिवार्य रूप से मास्क का उपय[illegible] करेंगे। सभी रहवासी मास्क [illegible] उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बच[illegible] के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे।

तीसरे दिन भी बच्चों का टीकाकरण, लगातार चल रहा टीकाकरण अभियान

रतलाम. कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए अब रतलाम में टीकाकरण कार्य ने गति पकड़ ली है। शुरुआती दो दिनों के बाद तीसरे दिन भी नए सैंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। स्कूली बच्चों को टीके लगाए गए। तीन दिन के भीतर करीब पचास हजार बच्चों के टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है। बुधवार को शहर सहित ग्रामीण अंचलों के निजी स्कूलों में टीकाकरण किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर उत्साह से भाग लिया। तीन दिन के टीकाकरण कार्य के बाद जो बच्चे इससे बच गए है, उन्हे भी आगामी चार दिन के भीतर टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

तो होगी धारा 188 में कार्रवाई

जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पत्रिका

पत्रिका 6/1/22

कोरोना इफेक्ट : पॉजिटिव आने पर संक्रमित का पूरा परिवार 7 दिन के लिए होगा क्वारेंटाइन, संक्रमितों का इलाज करने निजी अस्पतालों को लेना होगी इजाजत

जरूरी होने पर ही मास्क लगाकर निकलें घर से

भास्कर संवाददाता | रतलाम

लगातार फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर सख्ती का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक साथ 14 पॉजिटिव मिलने और एक्टिव केस की संख्या 22 हो जाने के बाद बुधवार को प्रशासन ने रोकथाम के लिए कुछ और प्रतिबंध लागू किए।

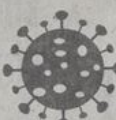

इनके मुताबिक सारे जिले में परिवार में किसी. एक व्यक्ति से संक्रमित होने पर पूरे परिवार को 7 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा। वहीं, निजी अस्पतालों के डॉक्टर सीधे संक्रमितों का इलाज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए डॉक्टरों को प्रशासन से इजाजत लेना होगी। बुधवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

अभी भी बिना मास्क पहने घूम रहे लोग

यह बात अलग है कि सरकारी अमला मास्क पहनने की अनिवार्यता को पूरी तरह लागू करने में अब तक नाकाम है। वर्तमान में मुख्य बाजार सहित शहर में नागरिक बेखौफ बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। नगर निगम का अमला जरूर खानापूर्ति के लिए जुर्माना कर रहा है। बुधवार को निकले प्रतिबंधात्मक आदेश में एक बार फिर कलेक्टर ने लोगों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत दी है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में और क्या-क्या प्रतिबंध लगाए

- सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
- अधिकृत अस्पतालों को सार्थक पोर्टल पर कोविड मरीजों की जानकारी को हर दिन अपडेट करना होगी।
- अनुमति वाले प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालयों को शुल्क की जानकारी लगाना होगी।
- फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर दुकानदारों को भी मास्क लगाना होगा।
- सावधानी के तौर पर नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहने के लिए कहा है।

भास्कर

काश्यप फाउंडेशन का खेल चेतना मेला स्थगित

संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए क्रीड़ा भारती और चेतन्य काश्यप फाउंडेशन ने 10 से 12 जनवरी तक होने वाले खेल चेतना मेले को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय बुधवार को खेल चेतना मेला आयोजन समिति की क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, फाउंडेशन अध्यक्ष व विधायक चेतन्य काश्यप की मौजूदगी में हुई मीटिंग में लिया। विधायक काश्यप ने कहा कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है, इसलिए खेल चेतना मेला स्थगित किया जा रहा है। बैठक में साई (स्पोर्ट्स अथोरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक के लिए 7.49 करोड़ की स्वीकृति दिलवाने पर खेल संगठनों ने विधायक काश्यप का स्वागत किया। क्रीड़ा भारती जिलाध्यक्ष डॉ. गोपाल मजावदिया, अशोक जैन लाला, अनुज शर्मा, मुकेश जैन, प्रकाश व्यास, दिनेश शर्मा, अमरीक राणा, गुलाम मोहम्मद, जितेंद्र धुलिया आदि उपस्थित रहे।

दै. भास्कर 6/1/22

कोविड सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिन क्वारेंटाइन करेंगे

रतलाम ● स्वदेश समाचार

किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वारिंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में बताया कि समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे। जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मॉस्क, सेनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वदेश

निजी अस्पताल कलेक्टर की अनुमति के बगैर कोविड-मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे

रतलाम जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमिक्रॉन वैरिएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

स्वदेश 6/1/22

तीसरी लहर के दौर में रतलाम में मिले 14 नए कोरोना मरीज

वर्ष 2022 के पहले ही महीने में सर्वाधिक मरीज दर्ज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर अब वास्तविकत होती नजर आ रही है। मेडिकल कॉलेज से बुधवार रात आई कोविड-19 रिपोर्ट में 14 नए मरीज आए हैं। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन की नींद उड़ा दी है जिसके चलते अब शक्ति और बढ़ने लगी है।

मेडिकल कॉलेज से आई जांच रिपोर्ट में जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, वह रतलाम के साथ ही जावरा और पिपलोदा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर्वाधिक मरीजों की संख्या रतलाम शहर से निकल कर आई है जबकि जावरा और

पिपलोदा में गिनती के मरीज हैं। राहत भरी बात यह है कि जितने भी मरीज मिले हैं, उनमें से लगभग सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं मरीज

कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए मरीजों में रतलाम के इंदिरा नगर से 23 वर्षीय युवक, कस्तूरबा नगर से 15 वर्षीय और 17 वर्षीय किशोर, सज्जन मिल से 21 वर्षीय युवक, पूनम विहार कॉलोनी से 19 वर्षीय युवक, पैलेस रोड से 22 वर्षीय युवती, दिलीप नगर से 30 वर्षीय युवक, कस्तूरबा नगर से 39 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अतिरिक्त बननाखेड़ा जावरा से 6 वर्षीय बालक, पिपलोदा के सेमलिया से 52 वर्षीय पुरुष, पिपलोदा की 23 वर्षीय युवती, हाटपिपलिया का 25 वर्षीय युवक, पिपलोदा से 45 वर्षीय व्यक्ति और पास के गांव से 18 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पत्रिका

पत्रिका 6/1/22

फूटा कोरोना बम : 14 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 6,15 और 17 वर्ष के बच्चे भी शामिल

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जिसका डर था आखिर वही हुआ। रतलाम में आज कोरोना बम फट गया। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में आज 14 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

रतलाम में भी एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। अभी तक जहां पिछले कुछ दिनों से एक और दो पॉजिटिव केस आ रहे थे, वहीं आज 5 जनवरी को एक साथ 14 पॉजिटिव मरीज मिलना खतरे की घंटी है। स्वास्थ्य अमले द्वारा पॉजिटिव आए सभी मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री पता की जा रही है, वहीं अमला कांटेक्ट ट्रेसिंग में भी जुट गया है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना जरूरी है। मास्क अवश्य पहने और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे, सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

तीसरी लहर के मद्देनजर रतलाम में पाबंदियां शुरू : मास्क को लेकर जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के पालन में जुटा प्रशासन

पूरे प्रदेश के साथ रतलाम में भी तीसरी लहर की आहट के साथ पाबंदियां लगाने का दौर शुरू हो चुका है। रतलाम कलेक्टर ने समस्त शासकीय, गैर शासकीय सेवा प्रदाता संस्थानों के कर्मचारियों और दुकानों के संचालकों द्वारा आवश्यक रूप से मास्क पहनने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। दुकानों या संस्थानों में पहुंचने वाले हैं ग्राहकों को भी मास्क पहनाने पर ही सेवा का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए है। मास्क नही पहनने वालो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम आज शहर में अभियान चला रही है।

मास्क नही पहनने पर चालानी कार्रवाई भी शहर के प्रमुख क्षेत्रों मे की जा रही है।

दरअसल कलेक्टर कुमार पुरुषोतम ने धारा 144 का उपयोग करते हुए आमजन और सभी शासकीय गैर शासकीय संस्थानो के कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया है। बीते 3 दिनों में रतलाम जिले में प्रतिदिन संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके बाद अब रतलाम जिले मे भी पाबंदियों की शुरुआत हो चुकी है। रतलाम में पहले नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाने के साथ मास्क पहनने को लेकर प्रशासन की टीमे सड़कों पर उतरी है। शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया की शहर में अब तक सामने आए मरीजों मे अधिकांश लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। जो बाहर से सफर कर रतलाम पहुंचे है, लेकिन ओमीक्रोन वेरिएंट का खतरा बढ़ने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। दुकानदारो, होटल-रेस्टोरेंट कर्मचारियों और फल सब्जी विक्रेताओ से मास्क पहनने एवं ग्राहकों को भी मास्क पहन कर आने की नसीहत दी जा रही है।

प्रसारण 6/1/22

पॉजिटिव आने पर परिवार होगा 7 दिन क्वॉरेंटाइन

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे। समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे।

जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्राइवेट अस्पताल बगैर कलेक्टर की अनुमति के कोविड-मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे

रतलाम। जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नवभारत 6/1/22.

प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, बड़े मेले नहीं होंगे आयोजित

सीएम ने कोरोना की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में कोरोना की स्थितियों को देखते हुए की समीक्षा बैठक में नाइट कर्फ्यू जारी रखने और बड़े मेले आयोजित नहीं करने समेत कई अहम निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधवार को कोविड की समीक्षा के दौरान कहा कि घबराने की नहीं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था और प्रभारी अधिकारियों को जिलों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जारी रखने, बड़े मेले ना आयोजित करने, विवाह में अधिकतम 250 व्यक्तियों की सीमा और स्कूलों में 50 फीसदी उपस्थिति के निर्णय को कायम रखा गया है। उठावना और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कोरोना की स्थिति एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा की।

शादी में 250 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग हो सकेंगे शामिल

राज एक्सप्रेस 6/1/22

प्रदेश में पाबंदियां : सरकार सख्ती से करेगी लागू

मेलों पर रोक, शादी में 250 व अंत्येष्टि में 50 लोगों को अनुमति

भोपाल(राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को राज्य सरकार ने एक बार फिर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दीं। अब किसी भी तरह के मेले प्रतिबंधित रहेंगे। शादी-ब्याह में दोनों पक्षों को मिलाकर ढाई सौ लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। इस दौरान मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार और उठावना में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की सशर्त अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाकडाउन के बजाए इन पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जाए।

बुधवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा राजेश राजौरा ने कोरोना संबंधी नए निर्देश कलेक्टरों को जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे इंतजामों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी अभी सख्त प्रतिबंध नहीं हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भी नहीं होंगे। प्रतिदिन 75 हजार जांच कराएं। पहले की तरह मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल और इंदौर के स्टेडियम में एहतियातन आइसोलेशन की तैयारी अभी से कर लें। ठंड के मौसम को देखते हुए स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से रजाइयों की व्यवस्था भी करें।

चेतावनी : मास्क नहीं पहना तो देना होगा जुर्माना

ये प्रतिबंध भी लागू रहेंगे

- रात्रिकालीन कर्फ्यू 11 बजे से सुबह पांच बजे तक
- सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लास, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक के वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिलेगा प्रवेश
- कालेज, स्कूल, हास्टल में कार्यरत सभी लोग और 18 वर्ष से अधिक के छात्रों के लिए दोनों डोज का टीकाकरण अनिवार्य
- सभी बाजार, माल के दुकानदार को भी दोनों डोज का टीकाकरण अनिवार्य होगा।

नईदुनिया 6/1/22

मप्र में नई गाइडलाइन : 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलते रहेंगे स्कूल

शादी में 250, शव यात्रा में 50 से अधिक नहीं हो सकेंगे शामिल

भोपाल/इंदौर » सिटी रिपोर्टर

मध्यप्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया। बैठक में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है। स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी।

24 घंटे में मिले 594 केस

मप्र में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं। संक्रमण दर 1 प्रतिशत पर आ गई। इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। जबलपुर में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट दो मरीजों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट निगेटिव थी।

रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 7 दिन क्वारेंटाइन

अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं। यानी यह संख्या दूसरी लहर से लगभग डेढ़ गुना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद हैं।

दबंग दुनिया 6/1/22

संक्रमण की चौंकाने वाली रफ्तार • सिर्फ 14 दिन में ही मिले 24 संक्रमित, जनवरी के 5 दिनों में 19 मामले सामने आए

212 दिन बाद

रतलाम में एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव मिले, इसमें 6 साल का बच्चा भी शामिल

भास्कर संवाददाता | रतलाम

तीसरी लहर की आशंका... ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बुधवार को शहर में बड़ा कोरोना विस्फोट हो गया। एक साथ 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इधर, 212 दिन बाद फिर ऐसा हुआ है, जब इस तरह एक साथ संक्रमित मिले। इससे पहले 8 जून 2021 को 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

बुधवार रात मिली रिपोर्ट में जावरा के बत्राखेड़ा का 6 साल का बालक, सेमलिया पिपलौदा के 52 साल के पुरुष, पिपलौदा की 35 साल की महिला, इंदिरानगर का 23 साल का युवक, कस्तूरबानगर की 15 साल की किशोरी, कस्तूरबा नगर का 17 साल का किशोर, हाटपिपलिया का 25 साल का पुरुष, सज्जन मिल का 21 साल का पुरुष, पूनम विहार कॉलोनी का 19 साल का युवक, पैलेस रोड की 22 साल की महिला, डेलनपुर का 30 साल का पुरुष, कस्तूरबा नगर का 39 साल का पुरुष, पिपलौदा के राकोदा का 18 साल का पुरुष, पिपलौदा का 45 साल का पुरुष पॉजिटिव आए हैं।

18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लग चुकी वैक्सीन

बुधवार को मिली रिपोर्ट में कोरोना ने युवाओं को ज्यादा संक्रमित किया है। 14 में से 9 लोगों की उम्र 25 साल से कम हैं। वहीं, 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। पॉजिटिव में सिर्फ 3 महिलाएं हैं।

संक्रमितों में कोई गंभीर नहीं

इधर, राहत की बात यह है कि संक्रमित में कोई भी गंभीर हालत में नहीं है। कस्तूरबा नगर के लोग एक ही परिवार के हैं जो कि टूर से वापस आए थे। वहीं, कोई रैंडम सैम्पलिंग में पॉजिटिव मिला है तो किसी ने ट्रैवलिंग के लिए अपना सैंपल दिया था। जो कि पॉजिटिव आ गया।

प्रदेश में संक्रमण दर 1% हुई

इंदौर में 512, भोपाल में 169 पॉजिटिव केस मिले

बुधवार सुबह जारी सरकारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 594, जबकि भोपाल में 169 केस सामने आए हैं। वहीं देर रात जारी इंदौर जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक वहां 512 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में संक्रमण दर 1% हो गई है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से एक्टिव केस भी 1544 हो गए हैं। एक ही दिन में एक्टिव मामलों में 500 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को 1029 एक्टिव केस थे जबकि एक जनवरी को एक्टिव केस की संख्या 497 थी। चार दिन में ही एक्टिव केस एक हजार से ज्यादा बढ़ गए। कोरोना से लगातार दूसरे दिन भी एक मौत हुई है। भास्कर

देश में 90610 नए मरीज

केस फिर एक लाख की ओ

नई दिल्ली | देश में एक दिन में न
केस एक लाख की ओर पहुंच गए है
मंगलवार को देश में 55,064 के
आए थे, जो बुधवार को 90,610
गए। इससे पहले 4 अप्रैल 2021 क
देश में कोविड के एक लाख केस अ
थे। केंद्र सरकार ने बुधवार को क
कि संक्रमण फैलाव बताने वाली
आर वैल्यू 2.69 हो गई है, जो दूस
लहर की पीक पर 1.69 थी। अ
दिन में कोविड मामलों में 6.3 गु
वृद्धि हुई। एक हफ्ते में पॉजिटिवि
दर 0.79 से बढ़कर 5.03% हो ग

दै. भास्कर 6/1/२२

कलेक्टर के आदेश बिना प्राइवेट अस्पताल नहीं करेंगे ओमिक्रोन का इलाज

पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिन क्वॉरेंटाइन भी किया जाएगा

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

कोरोना का प्रभाव पूरे देश के साथ रतलाम में भी बढ़ रहा है। इसे देखते हुए जिले में नियंत्रण को लेकर भी दिशा-निर्देश बढ़ रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसके तहत सख्ती बढ़ाने और ईलाज व्यवस्था और मजबूत करने के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। इसमें कहा कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है। समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। आदेश के अनुसार अधिकृत अस्पतालों को सेवा शुल्क की सूची जहां दिखाई दें, वहां प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

दबंग दुनिया 6/1/22

कलेक्टर की अनुमति के बिना प्रायवेट अस्पताल नहीं कर पाएंगे कोविड मरीज का इलाज

रतलाम। रतलाम जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राज एक्सप्रेस 6/1/22

प्राइवेट अस्पताल बगैर कलेक्टर की अनुमति के कोविड-मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे

रतलाम। जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन्दौर समाचार 6/1/22

कोरोना की रफ्तार : सीएम शिवराज सिंह ने समीक्षा के बाद लिया निर्णय

बंदिशों की वापसी; शादियों में 250 मेहमान, शव यात्रा में 50 को अनुमति

1 प्रदेश में बड़े मेले नहीं लगेंगे, अभी जो चल रहे हैं उन पर फैसला जल्द

2 स्कूलों में 50 फीसदी विद्यार्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था बनी रहेगी

3 कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही जारी रहेगा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख्ती की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा के बाद तय किया कि अब शादी-ब्याह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 मेहमान ही बुलाए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार-शवयात्रा में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूलों का संचालन 50% क्षमता के साथ जारी रहेगा। बड़े मेले नहीं लगेंगे, अभी जो मेले चल रहे हैं, उनका फैसला जिला कलेक्टर करेंगे।

सीएम ने कहा, हम पहले भी संक्रमण से जीत चुके हैं। अब वापस मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कलेक्टरों से कहा, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। अभी अनेक राज्यों में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य प्रतिबंध नहीं हैं। मध्यप्रदेश में भी कोई नए सख्त प्रतिबंध नहीं होंगे, लेकिन विभिन्न अवसरों पर उपस्थिति की संख्या सीमित रहेगी। सीएम ने मंत्री व कलेक्टरों से से जिलों की स्थिति भी जानी।

छात्राओं ने दिया मास्क लगाने का संदेश **खंडवा.** जिला स्तरीय युवा उत्सव में बुधवार को माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता हुई। इसमें शामिल विद्यार्थियों ने मास्क लगाने का संदेश देते हुए अपनी प्रस्तुति दी।

फोटो: रियाज सागर

राहत : सक्रिय मरीजों में से सिर्फ 8% अस्पताल में

स्वास्थ्य विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया। बताया कि वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों में से सिर्फ 8% अस्पतालों में हैं। बिना ऑक्सीजन वाले बेड मात्र 0.67%, ऑक्सीजन बेड 0.19%, आइसीयू-एचडीयू बेड 0.34% उपयोग में आ रहे हैं। प्रदेश में 50 हजार बिस्तर क्षमता है।

कुंडलपुर : प्रवेश पर रोक लगाई

दमोह. कोरोना के मद्देनजर कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी ने दमोह के बाहर से आने वाले लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी में प्रस्तावित महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। यहां पहुंचे मुनि व आर्यिका संघ के आहारदान, उनकी नियमित दिनचर्या पालन कराने की जिम्मेदारी दमोह जिले का जैन समाज निभाएगा।

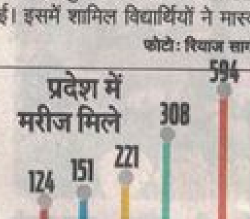

जब **अप्रेल-2021** में कोरोना पीक पर था, तब 4 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे। ***इस बार एक दिन में ही केस लगभग दोगुने हो रहे हैं।***

मुख्यमंत्री ने दिए अहम निर्देश

सीएम शिवराज सिंह ने जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। सा ही मध्यप्रदेश के महाराष्ट्र समेत पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में सतर्कता बरतने को कहा।

- जिलों में आवश्यक बेड, कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था हो।
- प्रभारी वरिष्ठ आइएएस हर दिन जिले की स्थिति देखें।
- अस्पतालों-कोविड सेंटर्स में एक सवा लाख बेड्स की क्षमता हो।
- भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आइसोलेशन सेंटर बनाएं।

सावधानी बरतें : सीएम

कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें। घबराएं नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

पत्रिका 6/1/22

नवाचार : अब हर घर के बाहर चार प्रकार के डस्टबिन

पत्रिका सोशल प्राइड

नगर निगम ने स्वच्छता अभियान 2022 में लिया निर्णय

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहर को सर्वेक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नम्बर प्राप्त हो व उच्चअंक मिले इसके लिए नगर निगम ने कई तरह के नवाचार करने की शुरुआत कर दी है। बुधवार को स्वच्छता अभियान के लिए हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि हर घर के बाहर चार प्रकार के डस्टबिन लगवाए जाए। इसके अलावा अन्य कई निर्णय भी लिए गए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया की अध्यक्षता में हुई।

शहर को स्वच्छता अभियान 2022 में उच्चतम अंक मिले इसलिए निगम आयुक्त झारिया ने सर्वेक्षण कार्य में जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एचएमएस के सदस्यों के साथ बैठक लेकर जरूरी निर्णय लिए है। आयोजित बैठक में शहर को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त करने के लिए प्रत्येक वार्ड के हर घर व दुकानों के बाहर सेग्रीगेटेट कचरा लिए जाने के साथ - साथ घरों व दुकानों के बाहर चार प्रकार के कचरे के लिए डस्टबिन रखने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। तैयारियां शुरू कर दी जाए।

जीपीएस 24 घंटे में हो शुरू

अब तक शहर में कचरा संग्रहण करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस नहीं चल रहे है, इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए कि हर वाहन में जीपीएस को अगले 24 घंटे में शुरू करवा दिया जाए। इस काम में देरी होने पर संबधीत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा वार्ड दारोगा को यह जिम्मेदारी दी गई कि हर दुकान से कचरा संग्रहण हो इसकी निगरानी वो रखें। बैठक में निगम आयुक्त झारिया ने कहा कि शहर का सीवरेज सिस्टम चल रहा है साथ ही वॉटर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। ट्रीटेड पानी का संग्रहण कर अन्य उपयोग में दिये जाने हे एसटीपी प्लांट पर सम्पवेल निर्माण शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए।

बेहतर कार्यों की जानकारी

बैठक में एचएमएस के सदस्यों द्वारा रतलाम षहर में गार्बेज की स्थित से अवगत कराते हुए इसमें क्या-क्या सुधार किये जा सकते है इसकी जानकारी से अवगत कराया साथ ही सार्वजनिक शौचालय व सुलभ शौचालय में किए जा सकते बेहतर कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान निगम के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पत्रिका

पत्रिका 6/1/22

वार्डवार शिविरों में संपत्तिकर एवं जलकर की 24 लाख से अधिक बकाया राशि जमा

रतलाम ● स्वदेश समाचार

नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किए गए है जो 3 मार्च तक चलेंगे। आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किस्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगें। विभिन्न वार्डों में अब तक लगे शिविरों में 20 लाख रुपए से अधिक संपत्तिकर एवं जलकर की 4 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि जमा हुई है।

वार्ड वार आयोजित किए गए वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-12 के लिए 7 जनवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक-12 के लिए 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 के लिए 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिए 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 के लिए 13 जनवरी को कलीमी कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिए 14 जनवरी को राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 14, 15, 46 व 48 के लिए 15 व 17 जनवरी को डॉ. मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर, वार्ड क्रमांक 46 व 48 के लिए 18 जनवरी को वेदव्यास कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-22 के लिए 19 जनवरी को कल्याण नगर, वार्ड क्रमांक 18, 19 व 20 के लिए 20 से 21 जनवरी तक दीनदयाल नगर, वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिए 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिए 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिए 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिए 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिए 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिए 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिए 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिए 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिए 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिए 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिए 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबूतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिए 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिए 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिए 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिए 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिए 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

स्वदेश 6/1/22

बगैर अनुमति के किया उपचार तो होगी कार्रवाई

प्राइवेट चिकित्सालय को चेतावनी : कोविड-मरीजों का निजी उपचार करने वाले को लेना होगी कलेक्टर से अनुमति

रतलाम। जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बगैर अनुमति के उपचार किया तो कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा।

अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन्दौर

इन्दौर समाचार 6/1/22

कोविड-सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिन क्वारेंटाइन किया जाएगा

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे। समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे। जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन्दौर

गार्बेज फ्री सिटी बनाने हेतु 4 लीटरबीन उपयोग की अनिवार्यता के दिए निर्देश

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के संबंध में निगम आयुक्त ने निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ली बैठक

प्रसारण न्यूज • रतलाम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को सर्वेक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नम्बर प्राप्त होकर रतलाम नगर को उच्चतम अंक मिले इस हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सर्वेक्षण कार्य में जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एचएमएस के सदस्यों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रतलाम शहर को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त शहर बनाना है, इस हेतु सभी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि नगर सभी 49 वार्डों के प्रत्येक घर व दुकानों से सेग्रीगेटेट कचरा लिया जाए, इस हेतु नागरिकों को अपने घरों में चार प्रकार के कचरे के लिए 4 लीटरबीन रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि निगम के सभी कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस सिस्टम तत्काल चालू करवाये जाए, साथ ही इस बात की सुनिश्चित्ता की जाए की प्रत्येक घर व दुकान से कचरा संग्रहण हो रहा है या नहीं।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि रतलाम का सीवरेज सिस्टम प्रारंभ है, साथ ही वॉटर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। ट्रीटेड पानी का संग्रहण कर अन्य उपयोग में दिए जाने हेतु एसटीपी प्लांट पर सम्पवेल निर्माण प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही तेजी से की जाए, ताकि सम्पवेलन निर्माण कराया जाये व रैतलाम नगर वॉटर में अप्लाय कर सकें।

बल्क वेस्ट जनरेटर की जानकारी बैठक में दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि बल्क वेस्ट जनरेटर की सूची में 200 बेड के शासकीय व नीति अस्पताल, स्कूल, 5000 स्क्वेयर फीट के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इण्डस्ट्रीज आदि को भी सम्मिलित कर झोन प्रभारी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि शहर में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लॉस्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है, इस हेतु इसके भण्डारण, खरीदी-बिक्री पर रोक लगाए जाने कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

आयोजित बैठक में एच एम एस के सदस्यों द्वारा रतलाम शहर में गार्बेज की स्थित से अवगत कराते हुए इसमें क्या-क्या सुधार किए जा सकते है, इसकी जानकारी से अवगत कराया, साथ ही सार्वजनिक शौचालय व सुलभ शौचालय की जानकारी से अवगत कराया।

बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अरविन्द दशोत्तर, सत्यप्रकाश आचार्य, अनवर कुरेशी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल चौधरी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, सहायक राजस्व निरीक्षक बलवंत राठौर, सहायक वर्ग-2 बी.एल. चावरे, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, अनिल पारा, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित वार्ड पर्यवेक्षक आदि उपस्थित थे।

प्रसारण 6/1/22

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

गार्बेज फ्री सिटी बनाने अब 4 डस्टबिन रखना जरूरी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर के घर, दुकान और अन्य संस्थानों के संचालकों को 4 डस्टबिन रखकर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। नगर निगम ने इसे अनिवार्य कर दिया है। मकसद शहर को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त बनाकर सफाई के मामले में देश के टॉप शहरों में शामिल करवाना हैं। निगम ने इसके लिए कमरकस तैयारी शुरू कर दी है।

बुधवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर हुई मीटिंग में आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इसे लेकर अफसरों को जिम्मेदारी सौंप दी है। सभी 49 वार्डों के हर एक घर व दुकानों पर चार प्रकार के डस्टबीन रखवाने और उनसे सेग्रीगेटे कचरा इकट्ठा करवाने को कहा है। मॉनिटरिंग के लिए सभी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहनों के जीपीएस सिस्टम चालू करवाए जाएंगे। यह पांच माह पहले टेंडर निरस्त होने के बाद से बंद पड़े हैं।

स्वच्छ शहर के लिए यह कर रहा निगम

- सीवरेज सिस्टम प्रारंभ होकर वॉटर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटेड पानी का संग्रहण कर अन्य उपयोग के लिए दिया जाएगा। इसके लिए करमदी और खेतलपुर वाले एसटीपी पर सम्पवेल बनाया जाएगा।
- रात की सफाई पर फोकस करेंगे। इसमें अलग गैंग बनाकर सब्जी मंडी और व्यवसायिक इलाकों में आवश्यक रूप से सफाई करवाई जाएगी।
- शहर मे 75 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथिन व सिंगल यूज प्लॉस्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्रवाई सख्ती से होगी। साथ ही इसके भंडारण, खरीदी-बिक्री पर रोक लगाएंगे।
- सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों की डेली मॉनीटरिंग होगी। टूटे-फूटे शौचालयों की मरम्मत होगी। बिजली व पानी की व्यवस्था भी कराएंगे।
- आयुक्त सहित सभी प्रमुख अधिकारी रोजाना मैदान में उतरकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। इसकी रिपोर्ट दोपहर तक आयुक्त तक पहुंचेगी, जो कसावट के लिए कार्रवाई करेंगे।

रात्रिकालीन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

इधर, लगातार कार्रवाई के बावजूद रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। मंगलवार रात सफाई व्यवस्था के निरीक्षण पर निकले आयुक्त को 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी का एक दिन का वेतन काट दिया है। साथ ही सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया है। कार्रवाई रामजीलाल किशन, अजय बसंत, दौलत राजू, नरेंद्र विजय, आकाश मुकेश, धनराज बंसत पर की है। ये बिना बताए गैरहाजिर रहे।

दै. भास्कर 6/1/22

जागरूकता | स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक लेकर दिए निर्देश

गार्बेज फ्री सिटी के लिए 4 लीटरबीन का उपयोग अनिवार्य

रतलाम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम शहर को अव्वल बनाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सर्वेक्षण कार्य में जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एचएमएस के सदस्यों के साथ बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त ने निर्देशित किया कि रतलाम शहर को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त शहर बनाना है। सभी 49 वार्डों के प्रत्येक घर व दुकानों से सेग्रीगेटेट कचरा लिया जाए। नागरिकों घरों में चार प्रकार के कचरे के लिए चार लीटरबीन रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सीवरेज सिस्टम में वाटर ट्रीटमेंट का पानी शहर में देने के लिए एसटीपी प्लांट पर संपवेल निर्माण तेजी से पूरा हो। 200 बेड के शासकीय व निजी अस्पताल, स्कूल, 5000 स्क्वेयर फीट के व्यवसायिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रीज आदि को भी शामिल कर जोन प्रभारी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें। शहर मे 75 माइक्रान से कम मोटाई की पालिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

नई.

नईदुनिया 6/1/22

शहर में हो रहे पेंचवर्क को कलेक्टर ने गुणवत्ताहीन बताया

पैलेस रोड पर हुए पेंचवर्क की जांच लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री करेंगे

रतलाम ● कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रतलाम शहर में सड़कों पर पेंचवर्क संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। शहर में नगर निगम के द्वारा सड़कों पर किए जा रहे पेंचवर्क के संबंध में आए दिन शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। खासतौर पर पैलेस रोड के पेंचवर्क की गुणवत्ता के संबंध में गंभीर शिकायत प्राप्त हुई है। पैलेस रोड का पेंचवर्क प्रथम दृष्टया ही गुणवत्ताविहीन है, जिसे दोबारा कराने के निर्देश दिए हैं। निगमायुक्त को यह भी निर्देशित किया है कि नगर निगम के अधिकारियों के अलावा भी एक तकनीकी अधिकारी पृथक से समस्त सड़क पेंचवर्क का निरीक्षण करेगा। कलेक्टर को रिपोर्ट देगा, उसके पश्चात ही समस्त पेंचवर्क कार्यों का भुगतान ठेकेदार को किया जा सकेगा। कलेक्टर द्वारा पृथक से जांच के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुरागसिंह को नियुक्त किया गया है जो पैलेस रोड पर पेंचवर्क गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। स्वदेश

स्वदेश 6/1/22

2663 हितग्राही पीएम स्वनिधि के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

रतलाम ● नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2513 हितग्राहियों को राशि रुपए 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 150 हितग्राहियों को राशि रुपए 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 88 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है। स्वदेश

स्वदेश 6/1/22

6617 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम ● सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 4 जनवरी मंगलवार तक 6617 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 66.17 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रुप से करवाएं। स्वदेश

स्वदेश 6/1/22

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाइन दल को दें

खुले में गंदगी करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 03 व 04 जनवरी को 15 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर रणवीर त्रिवेणी मेला परिसर, पंकज कुमावत अमृत सागर रोड पर 1000-1000, जय माँ काली, खण्डेलवाल नमकीन स्टेषन रोड पर 500-500, भरकादेवी आईस्क्रीम, प्रकाष त्रिवेणी मेला परिसर, बाम्बे कुल्फी त्रिवेणी मेला परिसर, होटल पेरे पंजाब, बालाजी रेस्टोरेंट स्टेषन रोड पर 200-200, जयश्री चाय, जोषीली, ड्रीम आईस्क्रीम त्रिवेणी मेला परिसर, धीरज, राहूल व षुभम स्टेषन रोड पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

राजएक्सप्रेस 6/1/22

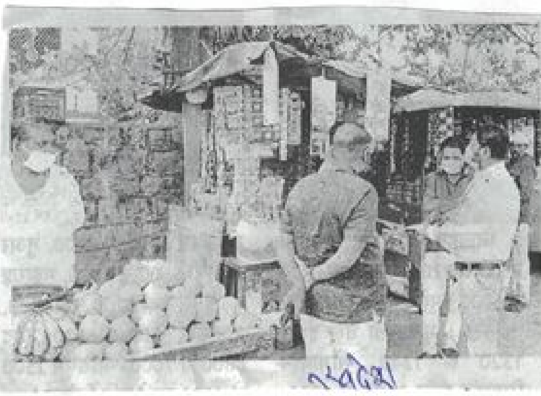

खुले में गंदगी करने पर 15 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम ● नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत 15 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

स्वदेश

स्वदेश 6/1/22

आदेश **दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए**

पॉजिटिव निकले तो पूरा परिवार होगा क्वॉरेंटाइन

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में

सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे।

सभी करेंगे मास्क का उपयोग

समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाडी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगें तथा संक्रमण से बचने के लिए भीडभाड से दूर रहेंगे। जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राजएक्सप्रेस 6/1/22

कोविड-सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिन क्वॉरेंटाइन किया जाएगा

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे।

समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे।

जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्यवाई की जाएगी।

प्राइवेट अस्पताल बगैर कलेक्टर की अनुमति के कोविड-मरीजों का उपचार नहीं कर सकेंगे

जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट अस्पताल, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, औषधालय कोविड-19 ओमीक्रोन वेरिएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे।

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार जो चिकित्सालय अधिकृत होंगे, उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टॉफ के माध्यम से आवश्यक वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा। अधिकृत चिकित्सालयों को सार्थक पोर्टल पर दिए गए लॉग इन आईडी से कोविड-19 के भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्यवाई की जाएगी।

प्रसारण 6/1/22

छह महीने बाद 14 नए पाजिटिव, इनमें 12 की उम्र 40 से कम

कोरोना : जावरा, पिपलौदा, डेलनपुर व रतलाम शहर में संक्रमण की गति बढ़ी, अभी तक मिले मरीजों में लक्षण नहीं, रैंडम सैंपलिंग में हुई पुष्टि

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान के मरीज की रतलाम जिले में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नए मामलों की रफ्तार इसके संकेत दे रही है। जुलाई 2021 में नए मरीजों की संख्या 10 से अधिक थी, इसके छह महीने बाद बुधवार को एक दिन में एक साथ 14 नए मरीज मिले। नए मरीजों में एक जावरा, चार पिपलौदा तहसील, एक हाट पिपलिया व सात मरीज रतलाम शहर के हैं। इन सभी के रैंडम सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। अब गाइलाइन अनुसार पाजिटिव मरीजों को मेडिकल कालेज में भर्ती या होम क्वारंटाइन किया जाएगा।

बच्चों के टीकाकरण में सहयोग देते हुए स्काउट-गाइड। ●नईदुनिया

मालूम हो कि जिले में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एक मरीज को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। नए मरीजों में रतलाम शहर में इंदिरा नगर निवासी 23 वर्षीय युवक, कस्तूरबा नगर निवासी 15 वर्षीय किशोरी, 17 वर्षीय किशोर, 39 वर्षीय युवक, सज्जन मिल निवासी 21 वर्षीय युवक, पूनम विहार निवासी 19 वर्षीय युवक, पैलेस रोड निवासी 22 वर्षीय युवती शामिल है। इसी तरह जावरा बन्नाखेड़ा निवासी छह साल का बालक, पिपलौदा तहसील के सेमलिया में 52 वर्षीय व्यक्ति, पिपलौदा निवासी 35 वर्षीय महिला, 45 वर्षीय व्यक्ति, राकोदा निवासी 18 वर्षीय युवक, हाटपिपलिया निवासी 25 वर्षीय युवक, डेलनपुर मेन रोड निवासी 30 वर्षीय युवक शामिल है। डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि सभी के सैंपल ओमिक्रोन की जांच के लिए दिल्ली भेजे जाएंगे।

ट्रेंड बता रहा कि युवा ज्यादा संक्रमित

खास बात यह है कि नए मरीजों में छह साल से 40 साल की उम्र के मरीजों की संख्या 12 है। दो मरीज 45 व 52 साल के हैं। इसके पूर्व में मिले मरीजों की उम्र भी 40 से कम रही है। ऐसे में इस बार युवाओ में संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। लक्षणविहीन होने से अभी उपचार में ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हालाता बिगड़ सकते हैं। इसके चलते प्रशासन ने मास्क पहनने, पाजिटिव मरीजों के स्वजन को सात दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने सहित अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसका पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है।

टीकाकरण में स्काउट गाइड ने दी सेवाएं

भारत स्काउट-गाइड रतलाम के स्काउट-गाइड ने 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान में गाइडर शिक्षकों के साथ सेवा कार्य कर सहयोग दिया। इस अवसर पर राज्य आयुक्त गाइड डा. सुलोचना शर्मा, जिला कमिश्नर ममता अग्रवाल, जिला संघ उपाध्यक्ष गोपाल जोशी, डीओसी धीरज सोनी, जिला सचिव जगदीश डोडिया, जिला काउंसलर आशा दुबे, कैलाश व्यास, प्राचार्य नीरू वर्मा, साधना व्यास ने भी विभिन्न सेंटर पर जाकर बच्चों को मार्गदर्शन व सहयोग किया। शहर के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में भी स्काउट-गाइड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने बच्चों को प्रोत्साहित कर शुभकामनाएं प्रदान की।

निजी अस्पताल में उपचार के लिए कलेक्टर की अनुमति जरूरी

जिले में निजी अस्पतालों में कोविड-19 ओमिक्रोन वैरिएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर की अनुमति के नहीं हो सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जो अस्पताल अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि नहीं लेंगे, निर्धारित प्रपत्र में जिला कलेक्टर से आथराइजेशन प्राप्त करना होगा। सार्थक पोर्टल पर दिए गए लाग इन आइडी से भर्ती मरीजों की जानकारी को प्रतिदिन अपलोड करना अनिवार्य होगा। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय के प्रवेश द्वार पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था हो

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष अभय शर्मा ने प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राजेशकुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वालों लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की जांच कराने व न्यायालय के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीन लगाने की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करने की मांग की है।

ज्ञापन में बताया गया है कि देश भर में कोरोना संक्रमण के रोगियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। जिला न्यायालय में पक्षकारों का आना-जाना लगा रहता है। न्यायालय परिसर में आने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं, यह चेक करने की कई व्यवस्था नहीं है। गत दिनों पुलिस ने कोरोना संक्रमित आरोपित को न्यायालय में पेश किया था। ऐसे में कोर्ट में कार्य कर रहे न्यायाधीश, कर्मचारी, अभिभाषकों के साथ ही उनके परिवार को भी खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जिले में पदस्थ अधीनस्थ न्यायाधीशों को निर्देशित किया जाए कि अति आवश्यक होने पर ही पक्षकार को न्यायालय बुलाया जाए। प्रवेश द्वार पर जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, जो यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं या नहीं। अध्यक्ष शर्मा ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति बगैर काम के न्यायालय परिसर में न आए।

नईदुनीया 6/1/22

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का माह दिसम्बर का वेतन रोका

रतलाम। डे-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की जारी रैंकिंग में रतलाम नगर निगम को निम्न स्तर का स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 2 सिटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं का माह दिसम्बर 2021 रोका गया।

डे-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की जारी रैंकिंग में रतलाम नगर निगम को निम्न स्तर का स्थान प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि सिटी मैनेजर भगवानसिंह राजपूत, कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय द्वारा कार्यों में लापरवाही बरती जाकर नगर निगम की छवि धूमिल की जा रही है। उक्त कर्मचारियों द्वारा समस्त घटकों का 100 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने पर ही रोका गया वेतन भुगतान किया जावेगा।

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 4 जनवरी को निरीक्षण किए जाने पर 6 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए।

04 जनवरी मंगलवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान रामजीलाल-किशन, अजय-बसंत, दौलत-राजू, नरेन्द्र-विजय, आकाश-मुकेश व धनराज-बसंत द्वारा अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

रात्रिकालिन सफाई में अनुपस्थित मिले 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण किये जाने पर 6 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये। 03 जनवरी सोमवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान रामजीलाल-किशन, अजय-बसंत, दौलत-राजू, नरेन्द्र-विजय, आकाश-मुकेश व भारत-रामलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम ● शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण किए जाने पर 6 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए।

कचरा संग्रहण 6 वाहन चालकों का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम ● घर-घर से कचरा संग्रहण वाहन के 7 वाहन चालकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से प्रभावित हुई सफाई व्यवस्था के कारण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वाहन चालक राजेश वर्मा, श्याम परमार, सुनील बैरागी, कैलाश परमार, मनीष डागर व जितेन्द्र खरे का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का वेतन रोका

रतलाम। डे-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की जारी रैंकिंग में नगर निगम को निम्न स्तर का स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दो सिटी मैनेजर व पांच सामुदायिक संगठिकाओं का माह दिसंबर का वेतन रोका गया। सिटी मैनेजर भगवानसिंह राजपूत, कपिल मारोठिया, सामुदायिक संगठिका राजश्री गुमास्ते, सीमा सुरोलिया, रेखा राठौर, हेमा सिलावट, निर्मला राय द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाकर नगर निगम की छवि धूमिल की जा रही है। उक्त कर्मचारियों द्वारा समस्त घटकों का 100 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने पर ही रोका गया वेतन भुगतान किया जाएगा।

छह कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान रामजीलाल-किशन, अजय-बसंत, दौलत-राजू, नरेंद्र-विजय, आकाश-मुकेश व धनराज-बसंत कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। इधर निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सभी का एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का लापरवाही के चलते वेतन रोक दिया

रतलाम | डे-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की रैंकिंग में नगर निगम को निम्न स्तर का स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने 2 सिटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं का दिसंबर का वेतन रोक दिया है। लापरवाही करने वालों में सिटी मैनेजर भगवानसिंह राजपूत, कपिल मारोठिया, सामुदायिक संगठिका राजश्री गुमास्ते, सीमा सुरोलिया, रेखा राठौर, हेमा सिलावट, निर्मला राय शामिल है। अब इन्हें 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने पर ही रोके गए माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा।